

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 98/2022 आवंटन निरस्त

- | | | |
|--|------|--|
| 1. राज्य सरकार जरिये
तहसीलदार बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा | बनाम | 1. शंभूलाल पिता 'मांगीलाल मीणा निवासी
चैनपुरिया तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा |
|--|------|--|

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. श्री जय कुमार जैन अधिवक्ता — विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.07.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम चैनपुरिया तहसील बिजौलिया की आ.न. 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम चैनपुरिया तहसील बिजौलिया की आ.न. 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट.भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि ग्राम चैनपुरिया की आराजी संख्या 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट. का आवंटन किया जाकर, विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी से अंकित की गयी थी। विपक्षी को आवंटित भूमि को 34 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, जो मियाद बाहर है। जबकि


आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के क्रम में प्रश्नगत आवंटित आराजी की संवत् 2061 लगायत 2064 की एवं 2065 से लगायत 2067 की खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिनमें विभिन्न फसलों को काशत किया जाना अंकित किया हुआ है। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम चैनपुरिया तहसील बिजौलिया की आ.न. 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी स्वयं ने भी आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काशत की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रार्थी तहसीलदार बिजौलियां द्वारा संवत् 2049 से 2052 की खसरा गिरदावरी पेश की गयी जिसमें विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काशत करने का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलियां द्वारा संवत् 2080 की गिरदावरी भी पेश की गयी जिसमें भी विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काशत नहीं की गयी। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम चैनपुरिया तहसील बिजौलिया की आ.न. 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट. भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार बिजौलियां को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम चैनपुरिया तहसील बिजौलिया की आ.न. 612/1 रकबा 0.3237 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रतन कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा